समाचार

विद्युत खंभें में अवैध विज्ञापन पर निगम ने की कार्यवाही

(पाए गए 148 बोर्ड अवैध, निगम द्वारा अर्थदण्ड आरोपित)

कोरबा 21 सितम्बर 2015 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा नगर के मुख्य मार्ग में सड़कों के बीच स्थित विद्युत खंभों पर लगाए गए अवैध विज्ञापन बोर्डो को संज्ञान में लेते हुए 07 संस्थाओं पर दो माह के किराए के साथ–साथ 01 लाख 48 हजार रूपये के अर्थदण्ड आरोपण की कार्यवाही की गई है।

आयुक्त श्री आलोक चन्द्रवंशी के दिशा निर्देश पर निगम के होर्डिंग अधीक्षक श्री ग्यास अहमद ने विद्युत खंभों पर लगाए गए अवैध विज्ञापन होर्डिंग के लिए संबंधित 07 संस्थाओं पर अर्थदण्ड आरोपित कर उन्हें नोटिस जारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सभी संस्थाओं पर माह जुलाई एवं माह अगस्त के किराए की राशि के साथ–साथ अर्थदण्ड भी आरोपित किया गया है। डॉ. बतरा सुभाष चौक अनीता काम्पलेक्स पर 9726 रूपये 50 पैसे, सुरेन्द्रा साड़ी दीनदयाल मार्केट कोरबा पर 11,116 रूपये, दुल्हन बैंगल स्टोर्स पावर हाउस रोड कोरबा दीनदयाल मार्केट के सामने पर 16, 674 रूपये, मुन्ना मेंस पावर हाउस रोड कोरबा पर 11,116 रूपये, जे.सी.सी. कोचिंग पुराना कोरबा हास्पिटल डामिनीज पिज्जा के पास पर 26,400 रूपये 50 पैसे, गरिमा ड्रेसस निहारिका टाकीज रोड पर 8,337 रूपये एवं रूपम दीनदयाल मार्केट कोरबा पर 1,22,276 रूपये का अर्थदण्ड एवं दो माह की किराया राशि आरोपित की गई है। उक्त राशि में 57,646 रूपये किराए की राशि एवं 148000 रूपये अर्थदण्ड की राशि शामिल है।

संपादकव्यूरोचीफ......................................
कृपया प्रकाशनार्थ सादर संप्रेषित

(रावेन्द्र सिंह)
सहायक जनसंपर्क अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)